न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–13/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00735)

1. अनुपसिंह पुत्र श्री मक्खनसिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख, निवासी ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. करतार सिंह पुत्र स्व. श्री ईसर सिह, जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी ग्राम पाटा, तहसील रामगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।
2. इकबाल सिंह पुत्र स्व. श्री ईसर सिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर।
3. अमरीक सिंह पुत्र स्व. श्री ईसर सिंह, जाति बाहम्ण सिक्ख निवासी ग्राम पाटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री जगदीश सतीजा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 26.10.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्टन की ओर से एक अपील अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत गंई थी कि अपीलान्ट ने दिनांक 05.06.2007 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ से पट्टा जारी करा लिया है जो गलत जारी किया गया है। जिससे व्यक्ति होकर रेस्पोडेन्ट ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम–7 राजस्थान भू राजस्व (स्थाई आवंटन निष्क्रान्त कृषि भूमि) नियम 1963 का प्रस्तुत किया गया था जो आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया गया जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई थी जिसको नही मानने का कोई कारण भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित नही किया है, और ना ही उसकी कोई विवेचन की है जबकि कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस की विवेचना अपने निर्णय में करनी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा पेश तथ्यों को नजर अन्दाज कर मनमाने रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम–7 राजस्थान भू राजस्व (स्थाई आवंटन निष्क्रान्त कृषि भूमि)

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

नियम 1963 का प्रस्तुत किया गया था। जो कानूनन चलने योग्य नही था तथा विधि अनुसार पोषनणीय नही होने के कारण खारिज होने योग्य था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बैजा रूप से आवेदन पत्र स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है, जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में जो सनद पट्टा जारी करने का आदेश दिया गया था उसको खारिज करने का आधार सहमति नही होना बताया गया है जबकि अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में इकरारनामा दिनांक 02.11.2006 तथा सहमति पत्र दिनांक 13.04.2007 का प्रस्तुत किया गया था जो इकरारनामा करतार सिंह इकबाल सिंह व अमरीक सिंह से सत्यापित करवाकर व अपने अंगूठा निशानी के अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजर अन्दाज करते हुये बैजा रूप से उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ का आदेश दिनांक 05.06.2007 को निरस्त करने में भारी कानूनी त्रुटि की है जबकि सभी रेस्पोडेन्ट की सहमति अधीनस्थ न्यायालय में दी गई थी जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि तहसीलदार रामगढ द्वारा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सभी गैर–खातेदारान सहमत नही है जो कि पत्रावली के विपरित है, अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से रेस्पोडन्ट की ओर से दिये गये सहमति पत्र दिनांक 13.04.2007 का प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ही गैर खातेदारान थे और उनके द्वारा सहमति पत्र दे दिया गया था। जहॉ तक उनकी माता सुरजीत कौर का उल्लेख किया गया है तो इस सम्बन्ध मे स्वयं रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार किया है अपीलाधीन निर्णय होने से पूर्व ही उनकी माता का देहान्त हो चुका था और रेस्पोडेन्ट के अलावा अन्य कोई विवादित आराजी का गैर खातेदार नही था और ना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा इस प्रकार की कोई आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में ली गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दज किया गया है कि रेस्पोडेन्ट आवेदन पत्र जिसमें उनकी स्वीकारोक्ति बाबत माता का देहान्त हो जाना स्वीकार किया है जिसमें से उनकी माता की सहमति का प्रश्न ही पैदा नही होता है। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय खिलाफ पत्रावली व तथ्यों तथा दस्तावेजों के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दिनांक 05.06.2007 के आदेश पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है, जो गलत है जबकि आदेशिका का सम्पूर्ण रूप से अवलोकन किया जाता है तो जाहिर होगा कि सम्पूर्ण आदेश पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है। जो काबिज गौर न्यायालय श्रीमान् है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्रक्रिया व प्रोसीजर को कतई नही अपनाया है और बैजा मनमाने रूप से विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2011 पारित किया है जो

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2011 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तथ्यों को अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के की पत्रावली के संलग्न भूमि विवादग्रस्त की जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 के नामान्तरकरण संख्या 530 अवलोकन से जाहिर है कि भूमि विवादग्रस्त का आवंटन रेस्पोडेन्ट के साथ साथ रेस्पोडेन्ट माता सुजीत कौर एवं भाई अवतार सिंह को किया गये जाने पर उन्हे भूमि का गैर खातेदारी का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में किया गया है उक्त गैर खातेदारान द्वारा भूमि विवादग्रस्त में बिना खातेदारी अधिकारों के ही भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 02.11.2006 को अपीलार्थी को बेचान किया गया जबकि प्रथमतः तो गैर खातेदारान को उक्त भूमि को बैचान करने के कोई कानूनी अधिकार ही प्रदत्त नही थे। द्वितीय इकरारनामा भूमि के बैचान को कोई वैद्य दस्तावेजात नही है। इकरारनामा तो केवल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य आपसी सहमति पत्र है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को भूमि के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 20.12.2006 के अनुसार सभी गैर खातेदारों की सहमति नही है एवं आवटन सलाहकार समिति की कार्यवाही के दौरान उपखण्ड अधिकारी रामगढ की सील पर कोई हस्ताक्षर भी नही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2011 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्ययालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2011 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।